न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 762/2022
दायर दिनांक :– 22.07.2022

अनवान

नन्द लाल पिता मोहन लाल दरोगा निवासी बांकरा तह. जहाजपुर
प्रार्थी..............

बनाम

1. छोटू पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
2. रामकिशन पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
3. सीताराम पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
4. कैलाशी पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
5. छोटी पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
6. रतनी पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
7. रामघणी पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
8. सीता पिता कुरा तेली निवासी बांकरा तहसील जहाजपुर
9. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री अमित बिडला, एडवोकेट प्रार्थी

दिनांक 17.05.2023

:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बांकरा पटवार हल्का बांकरा मे आराजी खसरा संख्या 386 रकबा 0.5076 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 387 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 388 रकबा 0.3348 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 389 रकबा 0. 4860 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 390 रकबा 0.0648 हैक्टेयर स्थित है जिसका प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थी की इन आराजी मे प्रार्थी एंव उसके परिवार वाले को आने जाने एंव फसल को उवेरने के लिये ग्राम बांकरा पटवार हल्का बांकरा मे स्थित आराजी खसरा संख्या 406 रकबा 0.4752 हैक्टेयर जो कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकित है मे से होकर आना जाना पड़ता है प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर 406 की मेड मे से होकर रास्ते की आवश्यकता है जिसके लिये प्रार्थी माननीय न्यायालय में यह आवेदन पत्र पेश कर रहे है। पूर्व मे प्रार्थी अपने खेत मे चाहे जा रहे रास्ते मे से ही आते जाते रहे है परन्तु रास्ता राजस्व अभिलेखो मे दर्ज नही है उक्त चाहे गये रास्ते की शुरूआत प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 389 से लगते हुये खसरा नम्बर 361 जो कि राजस्व रेकार्ड मे गे. मु. खाल है पर बने एनिकट से हो रही है प्रार्थी उक्त ऐनिकट से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के ना मकी खसरा संख्या 406 की मेड़ से होकर अपनी आराजी खसरा 389 पर आता जाता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी आराजीयात मे आ जा नहीं पावेगा प्रार्थी अपने खेतो मे रास्ते के अभाव मे कृषि कार्य नही कर पावेगा प्रार्थी की आय एंव अपने एंव अपने परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन खेती ही होने से खेती नही कर पाने की स्थिति मे प्रार्थी एंव इसके परिवार के सदस्यो के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी इसीलिये प्रार्थी श्रीमान के यहा प्रार्थनापत्र पेश कर रहे है। अतः आवेदन पत्र पेश कर सादर निवेदन है कि प्रार्थी को उनके खाते एंव कब्जे काश्त की 386 रकबा 0.5076 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 387 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 388 रकबा 0.3348 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 389 रकबा 0.4860 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 390

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

रकबा 0.0648 हैक्टयर मे आने जाने एंव फसल अवेरने सवेरने के लिये मौके पर मौजूद एकमात्र रास्ता जो कि खसरा संख्या 406 की मेड से होकर निकल रहा है एंव जो कि मौके पर लगभग 15 फिट चौड़ा है का तरमीम राजस्व नक्शे मे किये जाने के आदेश तहसीलदार जहाजपुर को दिलाये जाने के आदेश प्रदान फरमावे रास्ते मे जाने वाले रकबे का प्रार्थी नियमानुसार राशी अदा करने को तैयार एंव तत्पर है ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 386, 387, 388, 389, 390 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 06.02.2023 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 406 में से रास्ता देने पर 0.0108 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ. न. 386, 387, 388, 389, 390 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी की जोत तक पहुँचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 406 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ. न. 386, 387, 388, 389, 390 में आने जाने हेतु ख. न. 406 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ. न. 386, 387, 388, 389, 390 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थी की आ. न. 386, 387, 388, 389, 390 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 406 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ. न. 386, 387, 388, 389, 390 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम बांकरा प. ह. बांकरा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 386, 387, 388, 389, 390 में आने जाने के लिये आ. न. 406 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु खसरा नं. 406 में से रास्ता देने पर 0.0108 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 406 में से अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0108 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 4760– रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थीगण (आ. न. 406 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/23/मु.न. 762/2022

निमित, दिनांक 17.05.2023

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 762/22 अनवान नन्द लाल पिता मोहन लाल दरोगा निवासी बांकरा बनाम छोटू पिता कुरा तेली, रामकिशन पिता कुंरा तेली, सीताराम पिता कुरा तेली, कैलाशी पिता कुंरा तेली, छोटी पिता कुरा तेली, रतनी पिता कुरा तेली, रामघणी पिता कुंरा तेली, सीता पिता कुरा तेली निवासी बांकराव वगैराह में रास्ता तरमीम करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बांकरा प. ह. बांकरा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 386, 387, 388, 389, 390 में आने जाने के लिये आ. न. 406 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु खसरा नं. 406 में से रास्ता देने पर 0.0108 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 406 में से अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0108 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 4760– रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थीगण (आ. न. 406 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner